न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 188/2019 **दायर दिनांकः 12/12/2019**

उनवान

1. रानी बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री छोटूलाल पत्नि अविनाश कुमार जाति मीणा निवासी बरलां तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी चिकली तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0।

वादिया

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बरलां तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादियाः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 19/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादिया के पिता छोटूलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बरलां तहसील अटरू के खाते एवं कब्जे की भूमि ग्राम बरलां तहसील अटरू के माल में खाता संख्या 174 की ख0 न0 44/1015 की रकबा 0.10 है0 ख00 46 की 1.13 है0, ख0नं0 54/1020 की 0.16 है0, ख0नं0 57/1021 की 0.11 है0, ख0नं0 58 की 0.04 है0, ख0नं0 60/1014 की 0.08 है0, ख0नं0 65 की 0.16 है0, ख0नं0 16 की 0.37 है0, ख0नं0 117 की 0.04 है0, ख0नं0 18 की 0.17 है0, ख0नं0 19 की 2.06 है0 ख0नं0 130 की 0.59 है0, ख0नं0 280 की 0.10 है0 कुल किता 13 का रकबा 6.01 है0 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें छोटूलाल का हिस्सा 7/30 दर्ज खाता है। इसी प्रकार वाके ग्राम हानीहेड़ा तहसील अटरू की खाता संख्या 29 की ख0नं0 44 की 1.20 है0, ख0नं0 45 की 0.43 है0 कुल 2 किता का रकबा 2.03 है0 में छोटूलाल का हिस्सा 7/30 दर्ज खाता है। जो भारतीय स्टेट

बैंक शाखा अटरू के रहन दर्ज खाता चली आ रही है। वादिया के पिता छोटूलाल ने दिनांक 08. 06.2017 को उक्त भूमि में से अपना हिस्सा ग्राम बरलां एवं हानिहेडा के माल का दान पत्र द्वारा वादिया के नाम कर दिया तभी से वादिया उक्त भूमि में काश्त करती चली आ रही है। वादिया के पिता छोटूलाल के हिस्से पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू का रहन दर्ज होने से वादिया के पिता द्वारा किये गये दान पत्र का इन्तकाल दर्ज नही हो सका इसलिए वादिया को उक्त भूमि में काश्त करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादिया अपने पिता छोटूलाल के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू से लिये गये ऋण को जमा करने को तैयार है। मगर वादिया के पास अभी रूपयों की व्यवस्था नही है। इसलिए वादिया अपने पिता छोटूलाल के द्वारा लिये गये ऋण का जमाबन्दी पर लगे हुये नोट को अपने खाते मे दर्ज करवाना चाहती है। वादिया अपने पिता छोटूलाल द्वारा किये गये दान पत्र का इन्तकाल खुलवाकर छोटूलाल के द्वारा लिये गये ऋण को वादिया के खाते दर्ज करवाना चाहती है। बिना सहायता न्यायालय वादिया के पिता छोटूलाल द्वारा किये गये दान पत्र का इन्तकाल खुलवाकर भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू का ऋण वादिया के नाम वादिया के खाते पर ट्रान्सफर किया जाना सम्भव नही है। जिसके फलस्वरूप वादिया को अपरिमित क्षति होगी। इस वजह से वादिया वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है। कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावें कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के पिता छोटूलाल द्वारा वादिया को दान पत्र की गई आराजी ग्राम बरलां की खाता संख्या 174 एवं ग्राम हानिहेड़ा की खाता सं0 29 में वादिया के नाम इन्तकाल खोलकर वादिया के पिता द्वारा लिये गये बैंक ऋण का रहन दर्ज का नोट उक्त आराजी पर ही वादिया के नाम ट्रान्सफर करने का आदेश प्रदान करें। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के पिता द्वारा वादिया को दान की गई आराजी का इन्तकाल नही खोलने व बैंक ऋण वादिया के नाम ट्रान्सफर नही करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी है इस वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 2 आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 3 के यहां रहन दर्ज है, इस वजह से उक्त वाद में बैंक को प्रतिवादी क्रम 3 आवश्यक पक्षकार दर्ज किया गया है। विवादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम एवं माल बरलां एवं हानिहेड़ा तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के

तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः वादिया माननीय न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की पारित की जावें कि :–

(अ) वाद पत्र की मद न0 1 मे वर्णित वादिया के पिता छोटूलाल द्वारा वादिया को दान पत्र की गई आराजी ग्राम बरलां की खाता सं0 174 एवं ग्राम हानिहेड़ा की खाता सं0 29 में वादिया के नाम इन्तकाल खोलकर वादिया के पिता द्वारा लिये गये बैंक ऋण का रहन दर्ज का नोट उक्त आराजी पर ही वादिया के नाम ट्रान्सफर करने का आदेश प्रदान करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को दिलाई जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया तथा वादिया व प्रतिवादी क्रम 1 ने राजीनामा पेश किया जिसमें कथन किया कि मद नं0 1 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 2 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 3 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 4 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 5 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 6 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 7 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 8 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 9 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 10 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 11 का विवरण स्वीकार है। मद नं0 12 का विवरण कानूनी है। प्रार्थना वादिया स्वीकार है। वादिया रानी बाई ने एक वाद छोटूलाल प्रतिवादी क्रम 1 के किये गये दान पत्र ग्राम बरलां के खाता संख्या 174 का 13 किता का रकबा 6.1 है0 जिस में प्रतिवादी क्रम 1 छोटूलाल का हिस्सा 7/30 दर्ज खाता है इसी प्रकार ग्राम हानीहेड़ा की खाता संख्या 29 की 2 किता रकबा 2.03 है0 जिस पर प्रतिवादी क्रम 1 छोटूलाल का हिस्सा 7/30 दर्ज खाता है, प्रतिवादी क्रम 1 छोटूलाल ने दिनांक 08.06.2017 को उक्त भूमि में से अपना हिस्सा ग्राम बरलां व हानीहेड़ा के माल का दानपत्र द्वारा वादिया रानी बाई के नाम करवा दिया तभी से उक्त भूमि पर रानी बाई कास्त करती चली आ रही है। इस खाते पर एस0बी0बाई का रहन दर्ज है। इसलिए इन्तकाल दर्ज नही हो सका वादिया रानी बाई उक्त बैंक का रहन का नोट अपने खाते दर्ज करवाना चाहती है। एवं

उक्त बैंक की जो भी राशी होनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से की होगी जिस को वादिया जमा कराने को तैयार है। इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है।

राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया गया वादिया व प्रतिवादी की पहचान श्री सुरेश कुमार शर्मा एड़0 द्वारा की गई राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया

अभिभाषक वादिया को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया के पिता छोटू लाल पुत्र मांगीलाल के ग्राम बरलां में खाता संख्या 174 की किता 13 रकबा 6.01 है0 शामलाती खाते में दर्ज है, जिसमें 7/30 खाता दर्ज है, तथा ग्राम हानीहेडा में खाता संख्या 29 किता 2 रकबा 2.03 है0 में छोटूलाल का हिस्सा 7/30 दर्ज खाता है। जो भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू के रहन दर्ज है। जो जर्ये रजिस्टर्ड दानपत्र अपनी पुत्री रानीबाई के पक्ष में कर दिया गया, अपने पिता की भूमि पर रहन दर्ज होने से दानपत्र का इन्तकाल नही खुल सका वादिया एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामानुसार बैंक रहन की जो भी राशि हो उसे वादिया जमा कराने हेतु सहमत है। शपथ पत्र पेश किया गया। अतः न्यायहित में वादिया का वाद स्वीकार योग्य है।

—::कियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम बरलां की खाता संख्या 174 किता 13 रकबा 6.01 है0 में पिता छोटूलाल का हिस्सा 7/30 व ग्राम हानीहेड़ा की खाता सं0 29 किता 2 रकबा 2.03 है0 में छोटूलाल का हिस्सा 7/30 रहन एस0बी0आई0 शाखा अटरू पर दान पत्रानुसार वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन वादिया के खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 188/2019

उनवान

1. रानी बाई उम्र 40 वर्ष पुत्री छोटूलाल पत्नि अविनाश कुमार जाति मीणा निवासी बरलां तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी चिकली तहसील खानपुर जिला झालावाड़ राज0।

वादिया

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बरलां तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारा (राज0)
3. शाखा प्रबन्धक महोदय भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादियाः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बरलां की खाता संख्या 174 किता 13 रकबा 6.01 है0 में पिता छोटूलाल का हिस्सा 7/30 व ग्राम हानीहेड़ा की खाता सं0 29 किता 2 रकबा 2.03 है0 में छोटूलाल का हिस्सा 7/30 रहन एस0बी0आई0 शाखा अटरू पर दान पत्रानुसार वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। रहन वादिया के खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 10:50:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: